

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

**न्यायालय अति० कलक्टर चित्तौड़गढ़**

मुकाम

**चित्तौड़गढ़****लालुराम**

बनाम

**सरकार**

किस्मा मुकदमा

**विविध प्रार्थना पत्र**

नं०

**009**

सन्

**2021**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.03.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी। राजकीय अधिवक्ता हाजिर। राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस प्रार्थना पत्र करना जाहिर किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधिवक्ता अपीलांट का अन्य न्यायालय में व्यस्तता के कारण अधिवक्ता अपीलांट दिनांक 17.12.2020 को सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिससे अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज फरमाई गई। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधिवक्ता अपीलांट की व्यस्तता से अधिवक्त न्यायाल हाजिर में नहीं आने से एवं अपीलांट स्वयं के अदालत मजाज में हाजिर नहीं आने न्यायालय आप द्वारा नियमानुसार विधिक प्रावधानों के तहत निर्णय/आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाकर अपील अपीलांट को पुनः संस्थित किया जाना उचित नहीं है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। इस पर रिवटल बहस में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रकरण जायदाद से संबंधित है एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी/अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकर कर न्यायालय आप द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2020 को निरस्त करते हुए प्रकरण संख्या 102/2016 अपील को पुनः संस्थित किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। इस ईशतदुआ के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सुनी गई बहस का मनन किया। हस्तगत अपील का गुणावगुण पर निर्णय नहीं होकर प्रकरण अदम हाजरी में खारीज किया गया है ऐसी स्थिति में प्रकरण का निर्णय गुणावगुण किया किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रार्थी क्षजरा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र <b>041 R 19</b> जा०दी० को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र <b>041 R 19</b> जा०दी० बाबत् राजस्व अपील संख्या 102/2016 अनवानी लालुराम बनाम सरकार निर्णय दिनांक 17.12.2020 को रूपये 200/- अक्षरे दौ सौ रूपये कॉस्ट राशि पर पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाता है। वकील प्रार्थी कॉस्ट/राशि विधिक सहायता में जमा करा रसीद/वालान प्रस्तुत करें। मूल अपील को बाद जमा कॉस्ट राशि पुनः पंजीयन किया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही मूल अपील के साथ हम किता रहें। तदनुसार अभिलेख में अंकन किया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">- ह० - (रतन कुमार) अतिरिक्त वकील, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ 18.03.2021</p>	

